

वारीख
दिवस

दिवस या कार्यवाही का दिनांक

09/09/24

कमिशन वारी प्रार्थी का मुकदमा, करीबन
दोपहर 12:30 बजे, कोर्ट में
अधिवेशन का आयोजन
का है। अतः प्रार्थी को
दिनांक 24/10/24 को पेश होना

24/10/24

24/10/24

पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी द्वारा गलत आदेशानुसार वास्तव में एकपक्षीय हेतु पत्रावली दिनांक 16-12-24 को पेश हो।

16.12.24

आज यह पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपाय गत आदेशानुसार दिनांक 11-02-25 को पेश हो।

11.02.25

आज यह पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपाय गत आदेशानुसार दिनांक 18-2-25 को पेश हो।

18.02.25

आज यह पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपाय गत आदेशानुसार दिनांक 18-2-25 को पेश हो।

अतः मूल कास प्रारम्भिक डिप्टी को जाने के कारण प्रेषण 212 RJA का सम्बन्ध जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी द्वारा लालपु लोहाजि भिया जाय है पत्रावली फेरवले सुमा (अपना नाम) के नाम से तथा अलग सूचना के

शेखराम जी
उपस्थित
अधिवेशन